न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 12 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रेखाराम पुत्र श्री मानाराम
2. श्रीमती किसनी देवी धर्मपत्नी श्री मानाराम जाति जाट निवासी भूरटिया तहसील बाड़मेर हॉल निवासी खोड़ाल तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.पोकरराम पुत्र श्री लखाराम
2.मूलाराम पुत्र श्री उदाराम
3.मानाराम पुत्र श्री नरसिंगाराम जाति जाट निवासीयान खोड़ाल(राजड़ाल) तहसील शिव जिला बाड़मेर
4.सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये श्री सहायक अभियन्ता सार्व.नि.वि. शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर
5.राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 249/2019 बअनवान रेखाराम बनाम पोकरराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री वांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दीनदयाल प्रजापत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 22.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के मौजा खोड़ाल पटवार मण्डल राजड़ाल तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 293 रकबा 97.17 वीघा का जो अपीलांटगण के वालिद माना वल्द खींया ने जरिये बैंचान पत्र दिनांक 14.09.1966 को मूल खातेदार भैरूदान पुत्र हेमदान से रकबा 100 बीघा खरीद कर कब्जा उसी समय प्राप्त किया व तब से आज तक पीढियों से लगातार काविज है एवं जरिये नामांतरकरण संख्या 16 अपनी खातेदारी में 100 बीघा खसरा संख्या 224/1 के रूप में दर्ज करवाया। राजस्व कर्मचारियो की भूल व लापरवाही के कारणवंश उक्त खातेदारी के रकबा की अलग तरमीम लटठा ट्रेस में माफिक कब्जा काश्त दर्ज नहीं हुई जिसका ज्ञान अपीलांटगण के वालिद को व प्रार्थीगण को अनपढ़ होने के कारण कभी नहीं रहा। इसी बीच उक्त मूल खसरा में सार्वजनिक रास्ते हेतु भूमि का अंकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में करवाने हेतु रेस्पोडेंटस ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर त्रुटिपूर्ण राजस्व अंकन का नाजायज फायदा उठाकर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रस्तावित रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

रेस्पोडेंटस के कब्जा काश्त में से रकबा 09.01 बीघा पर से गुजरता हैं, उस में से रकबा 02.03 बीघा भूमि अपीलांटगण के रकबा से कम करवाते हुये रेसपोडेंटस ने नाजायज फायदा उठाया गया। अपीलांटगण ऐसे शून्य व निष्प्रभावी आदेश को निरस्त करवाने व उक्त रकबा 02.03 बीघा भूमि अपने खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 289/224 का रकबा 105.02 के स्थान पर रकबा 102.19 बीघा व खसरा संख्या 293/224 का रकबा 97.17 बीघा के स्थान पर रकबा 100 बीघा खातेदारी में घोषित व अंकन करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि मौजा खोडाल पटवार मण्डल राजडाल के खसरा संख्या 293/224 का रकबा 97.17 बीघा के स्थान पर 100 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित किया जाना, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन व राजस्व रेकर्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी की रकबा 02.03 बीघा भूमि गलत ढंग से कम कर PWD के नाम दर्ज की गई जिसके स्थान पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 के खाते से 02.03 बीघा भूमि कम किया जाना आधार सड़क प्रतिवादी के हिस्से से गुजरती है तो स्वीकार्य तथ्य है। वादी एवं प्रतिवादी में विवाद पुराने समय से चला आ रहा है तथा वाद पत्र में पेश दस्तावेजों, तथ्यों व विभिन्न प्रकरणों से भलीभांति स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त भूमि अंकन व मौका कब्जा के रूप में इन मिडियो (गम्भीर विवादग्रस्त) है। मुख्य विवाद खातेदारी में गलत रकबा व गलत तरमीम अंकन का है, जो दस्तावेजों से अपीलांट के पक्ष में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। जब तक विवाद बिन्दू पर विधिक प्रक्रिया से सुनवाई व निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक विवाद की गम्भीरता के देखते हुए तथा मामले में उत्पन्न होने वाली पेशिदगियों को रोकने के लिये यथास्थिति हेतु संबंधित पक्षों को पाबंद किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में दौराने दावा वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड को बाहर बदला जाता है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने का अवसर दिया जाता है तो अपीलांटगण को अपूर्ण क्षति स्पष्ट प्रकट होती है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने उक्त अपीलाधीन आराजी क्रय की थी किन्तु उसके बाद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से सड़क निकल जाने के कारण उक्त रकबा कम हुआ है। सड़क में जाने वाला रकबा प्रार्थीगण एव हम रेस्पोडेंटस की खातेदारी में से उभयपक्ष में सहमति से कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 04 के नाम दर्ज किया गया। प्रार्थीगण ने अपनी सहमति से अपनी खातेदारी भूमि में से सड़क हेतु भूमि देने के बाद अब अपने कथनों से मुकर नहीं सकते है। अपीलांटगण ने अपने खातेदारी में दर्ज वर्तमान रकबे अनुसार ही सन 2001 मे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव से तरमीम दुरस्त भी करवाई है तथा अपने इसी रकबे को सही मानकर अपनी खातेदारी भूमि की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव से नेखमवंदी का आदेश भी करवाया है। अपीलांटगण ने झुठे तथ्यों का सहारा लेकर हम रेस्पोडेंटस को नाहक तंग एवं परेशान करने एवं भूमि को हड़पने के लिए उक्त वाद व आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांटगण ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने रकबे अनुसार ही अपने खातेदारी खेत की नेखमबंदी के आदेश करवाया है तथा सन् 2001 में प्रार्थी द्वारा करवाया गया तरमीम दुरस्ती का आदेश भी रेकर्ड में दर्ज रकबा अनुसार ही है। रेस्पोडेंटस ने अपने जवाब के पद संख्या 04 में अपीलांटगण ने 36 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को मौखिक बहस में कबूला है और कहा है कि यह स्वीकार है, कि अतिरिक्त भूमि पर कब्जा है परन्तु उसे विधि द्वारा निर्धारित तरीके से न हटाकर

राजस्व अपील अधिकारी वाडमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर

विप्रार्थी जबरन हटाना चाहते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांटगण अपने खातेदारी की भूमि से अधिक भूमि पर मौके पर काबिज है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटस के राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाते दर्ज है। उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल वाद के निरतारण पर ही संभव है। मूल वाद के निरतारण में समय लगने के कारण रिकॉर्डेड खातेदार को अपने खातेदारी उपयोग एवं उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मौके पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त अपने खातेदारी की भूमि से अधिक होने तथा आवेदन–पत्र में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं जिससे यह प्रमाणित हो, कि प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति हो रही हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 249/2019 बअनवान रेखाराम बनाम पोकरराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 को यथावत रखा जाता है। मूल दावा विचाराधीन होने से मामले में व्यर्थ ही मुकदमें बाजी नहीं बढे इसलिए उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अपीलाधीन आराजी का किसी प्रकार से बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर